राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक / एफ.1(   )स्था. / 2001 / श्रम / सुअ / 01,   जयपुर, दिनांक 13.1.09

अधिसूचना

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–22) की धारा–4 की उप–धारा–1(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतदद्वारा श्रम विभाग के मैन्युअल्स निम्नानुसार प्रकाशित करती है।

आदेश से,

शासन उप सचिव,

राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005
के तहत विभागीय मैन्युअल्स

कार्यालय श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर

मैन्युअल–I

विभाग का संगठनात्मक ढांचा, कार्य एवं दायित्व

संगठनात्मक ढांचा

श्रम आयुक्त, प्रदेश के श्रम विभाग के विभागाध्यक्ष है, जिनके अधीन राज्य स्तर पर श्रम विभाग की विभिन्न गतिविधियां विधिवत संचालित की जाती है। इस हेतु विभाग में अधिकारियों एंव कर्मचारियों के 462 पद सृजित है।

श्रम विभाग के जयपुर स्थित मुख्यालय पर अतिरिक्त श्रम आयुक्त एंव पदेन उप शासन सचिव, संयुक्त श्रम आयुक्त (आईआर) एव पदेन सहायक शासन सचिव, संयुक्त श्रम आयुक्त (विधि) के एक एक पद, उप श्रम आयुक्त के 3 पद, सहायक श्रम आयुक्त के 2 पद एंव सहायक निदेशक (सां0), श्रम कल्याण अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी व निजी सचिव के एक–एक पद तथा अधीनस्थ, मंत्रालयिक एंव सहायक कर्मचारियों के 77 पद स्वीकृत हैं।

राज्य के अजमेर, बीकानेर, जयपुर, कोटा, उदयपुर एवं जोधपुर, सम्भाग मुख्यालयों के अतिरिक्त अलवर मे भी सयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालय स्थापित है। इसी प्रकार भरतपुर, भीलवाड़ा चित्तौडगढ़, श्रीगंगानगर, पाली एवं सिरोही मे उप श्रम आयुक्त तथा बांसवाड़ा, नागौर, सवाईमाधोपुर, सीकर, व टोंक, मे सहायक श्रम आयुक्त कार्यालयों के अतिरिक्त 13 श्रम कल्याण अधिकारी के कार्यालय क्रमंशः ब्यावर, बालोतरा, बारां, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू व राजसमंद में कार्यरत हैं।

विभाग के प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ एंव प्रभावशाली बनाने के लिए सभी कार्यालयों को 6 सम्भागीय कार्यालयों के अधीन रखा गया है। संभागीय एंव क्षेत्रीय अधिकारी अपने अपने अधीन क्षेत्र मे कार्यो के नियंत्रण संबंधी एंव दायित्व निर्वहन के लिए अधिकृत है। श्रम विभाग के मुख्यालय, सम्भागीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों की संरचना है :–

श्रम विभाग की संरचना (मुख्यालय स्तर)

श्रम आयुक्त

अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं शासन उप सचिव (पदेन)

↓

संयुक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन सहायक शासन सचिव (औद्योगिक संबंध)	सयुक्त श्रम आयुक्त (विधि)	उप श्रम आयुक्त (प्रशासन)	उप श्रम आयुक्त (अभियोजन)	सयहाक श्रम आयुक्त (वादकरण)	सहायक निदेशक (साख्यिकी)	जन सम्पर्क अधिकारी	सहायक लेखाधिकारी	निजी सचिव
सहायक	उप श्रम							

श्रम आयुक्त (औद्योगिक संबंध)	आयुक्त (विधि) श्रम कल्याण अधिकारी

श्रम विभाग में स्वीकृत पदों का विवरण
(31 दिसम्बर, 2004)

क्र.सं.	पद का नाम	मुख्यालय	अजमेर	अलवर	बांसवाड़ा	बाड़मेर	बारां	भरतपुर	भीलवाड़ा	बीकानेर	बूंदी	चित्तौड़गढ़	चूरू	दौसा	धौलपुर	डूंगरपुर	श्रीगंगानगर	हनुमानगढ़	जयपुर	जैसलमेर	जालौर	झालावाड़	झुंझुनूं	जोधपुर	करौली	कोटा	नागौर	पाली	राजसमन्द	स.माधोपुर	सीकर	सिरोही	टोंक	उदयपुर	सब डिवी. ब्यावर	योग
1.	श्रम आयुक्त	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
2.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त	2	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	9
4.	उप श्रम आयुक्त	3	–	1	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	1	–	–	–	9
5.	सहायक श्रम आयुक्त	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	1	–	–	1	1	–	1	1	–	12
6.	श्रम कल्याण अधिकारी	1	–	1	–	1	1	1	1	1	1	–	1	1	1	1	1	1	–	–	1	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	1	–	–	1	20
7.	सहायक निदेशक(सां.)	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
8.	सहायक लेखाधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
9.	जन सम्पर्क अधिकारी	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
10.	निजी सचिव	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
11.	लेखाकार	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
12.	कनिष्ठ लेखाकार	4	1	1	–	–	–	1	1	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	1	–	1	1	1	1	1	–	20
13.	सांख्यिकी सहायक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
14.	सांख्यिकी निरीक्षक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
15.	श्रम निरीक्षक	2	6	5	2	1	1	2	5	3	2	3	1	1	1	1	3	1	16	–	1	1	1	5	–	5	2	3	2	3	2	3	2	6	2	94
16.	विधि सहायक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
17.	संगणक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4
18.	कार्यालय अधीक्षक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1
19.	कार्यालय सहायक	3	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	6
20.	निजी सहायक	2	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	2
21.	स्टेनो ग्रेड–II	3	1	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1	–	10
22.	वरिष्ठ लिपिक	10	2	2	1	–	–	2	1	2	–	1	–	–	–	–	1	–	2	–	–	–	–	1	–	2	–	1	–	1	1	1	1	1	–	33
23.	कनिष्ठ लिपिक	21	2	5	2	1	1	3	2	2	1	2	2	1	1	2	4	2	9	–	1	1	1	4	–	5	2	2	2	3	1	1	2	4	2	94
24.	महिला सिलाई शिक्षिका	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	1
25.	क्रीड़ा आवेक्षक	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	1	4
26.	महिला आवेक्षिका	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	2
27.	वाहन चालक	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1

28ए	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	21	3	2	4	1	1	4	4	1	2	3	1	2	2	2	3	—	10	—	—	1	1	1	—	5	2	1	2	3	2	1	2	3	2	92
29ए	टेलीफोन आपरेटर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	महायोग :	**89**	**18**	**18**	**10**	**4**	**4**	**14**	**15**	**12**	**6**	**11**	**5**	**5**	**5**	**6**	**14**	**4**	**44**	—	3	**4**	**4**	**18**	—	**22**	**7**	**11**	**7**	**13**	**8**	**9**	**9**	**18**	**9**	**426**

प्रदेश में स्थित श्रम विभाग के कार्यालय

क्रं. सं.	कार्यालयाध्यक्ष	मुख्यालय	क्रं. सं	कार्यालयाध्यक्ष	मुख्यालय
1	क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	अजमेर	17	क्षेत्रीय सहा. श्रम आयुक्त	सीकर
2	क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	भरतपुर	18	श्रम कल्याण अधिकारी	सिरोही
3	क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	बीकानेर	19	श्रम कल्याण अधिकारी	ब्यावर स. डि.
4	क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	जयपुर	20	श्रम कल्याण अधिकारी	बालोतरा
5	क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	जोधपुर	21	श्रम कल्याण अधिकारी	बांरा
6	क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	कोटा	22	श्रम कल्याण अधिकारी	बूंदी
7	क्षेत्रीय संयुक्त श्रम आयुक्त	उदयपुर	23	श्रम कल्याण अधिकारी	चूरू
8	क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त	अलवर	24	श्रम कल्याण अधिकारी	दौसा
9	क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त	भीलवाड़ा	25	श्रम कल्याण अधिकारी	धौलपुर
10	क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त	चित्तौड़गढ	26	श्रम कल्याण अधिकारी	डूंगरपुर
11	क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त	श्रीगंगानगर	27	श्रम कल्याण अधिकारी	हनुमानगढ
12	क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त	पाली	28	श्रम कल्याण अधिकारी	जालौर
13	क्षेत्रीय सहा. श्रम आयुक्त	टोंक	29	श्रम कल्याण अधिकारी	झालावाड़
14	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त	बांसवाड़ा	30	श्रम कल्याण अधिकारी	झुंझुनू
15	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त	नागौर	31	श्रम कल्याण अधिकारी	राजसमन्द
16	क्षेत्रीय सहायक श्रम आयुक्त	सवाईमाधोपुर			

प्रदेश में स्थित श्रम विभाग के कार्यालयों का संभागवार विवरण

क्र.सं	संभाग का नाम	कार्यालय
1	जयपुर	जयपुर, दौसा, सीकर, झुंझुनू, भरतपुर अलवर, धौलपुर,
2	कोटा	कोटा, झालावाड, बूदीं, बारां, सवाई माधोपुर, करोली
3	जोधपुर	जोधपुर, सिरोही, पाली, जालौर, जैसलमेर, बालोतरा (बाडमेर)
4	उदयपुर	उदयपुर, राजसमंद, डुंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तोडगढ़
5	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर
6	बीकानेर	बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमागढ़

अन्य विभागों में स्वीकृत पदों का विवरण

पीएचईडी, जयपुर	संयुक्त श्रम आयुक्त	1
	उप श्रम आयुक्त	1
	सहायक श्रम आयुक्त	2
	श्रम कल्याण अधिकारी	1
पीएचईडी, कोटा	सहायक श्रम आयुक्त	1
पीएचईडी, जोधपुर	सहायक श्रम आयुक्त	2

पीएचईडी, उदयपुर	सहायक श्रम आयुक्त	1
पीएचईडी, अजमेर	सहायक श्रम आयुक्त	1
पीएचईडी, बीकानेर	सहायक श्रम आयुक्त	1
सा.नि.विभाग, जयपुर	उप श्रम आयुक्त	1
	श्रम कल्याण अधिकारी	2
सानिविभाग,कोटा	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सानिविभाग, जोधपुर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सानिविभाग, उदयपुर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सानिविभाग, अजमेर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
सानिविभाग, बीकानेर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
वन विभाग, जयपुर	सहायक श्रम आयुक्त	1
ई0गा0न0प0, जैसलमेर	श्रम कल्याण अधिकारी	1
ई0गा0न0प0, बीकानेर	सहायक श्रम आयुक्त	1
	श्रम कल्याण अधिकारी	1

विभाग के कार्य एवं दायित्व

औद्योगिक संबंध

औद्योगिक उत्पादन मुख्यतया औद्योगिक शान्ति पर निर्भर करता है। प्रंबधक एंव श्रमिकों के मध्य मधुर संबंध बनाये रखने के लिए तीसरे पक्ष के रूप में अहम भूमिका का निवर्हन श्रम विभाग द्वारा किया जाता हैं।

राज्य में औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रमुख के रूप में श्रम आयुक्त कार्य करते है। श्रम आयुक्त के सहयोग के लिए राज्य में 31 जिलों में कार्यालय कार्यरत है। जिनमें श्रम आयुक्त सहित 56 अधिकारी एवं 94 निरीक्षक नियुक्त हैं।

औद्योगिक संबंध तंत्र के प्रमुख कार्य

- राज्य क्षेत्र में औद्योगिक विवादों को रोकना एवं उनका निस्तारण करना।
- केन्द्रीय एंव राज्य सरकार द्वारा बनाये गये श्रम कानूनों और नियमों को लागू करना।
- ट्रेड यूनियनों का पंजीयन/निरस्तीकरण करना।
- राज्य में औद्योगिक संबंधो का पर्यवेक्षण करना।
- विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से हस्तक्षेप करना, मध्यस्थता करना और सुलह करवाना।
- हडताल और तालाबंदी रोकने के लिए हडताल और तालाबदी की परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना।

- समझौते और अवार्ड लागू करवाना।
- कार्यबंदी, छंटनी, अनुचित श्रम व्यवहार आदि से संबधित मामलों में औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना।
- श्रम कानूनों को लागू करवाना।
- वर्क्स कमेटियों का गठन करवाना।
- स्थायी आदेशों का प्रमाणीकरण।

श्रम अधिनियमों का प्रवर्तन

श्रम विभाग के कार्य क्षेत्र में 21 श्रम अधिनियम आते है। अधिनियमों के अन्तर्गत निरीक्षक/अधिकारीयों द्वारा प्रवर्तन/मोनीटरिंग कार्य किया जाता है। उनके द्वारा निरीक्षण तथा आवश्यकतानुसार दावे प्रस्तुत किये जाते है।

1. बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966
2. बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियम) अधिनियम, 1986
3. ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970
4. भवन एंव अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996
5. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
6. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
7. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
8. केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1979
9. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
10. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961
11. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
12. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972
13. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
14. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1958
15. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान (समूह बीमा योजना) अधिनियम, 1987
16. विक्रय बढ़ोतरी कामगार (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1976

17. श्रमिक संध अधिनियम, 1926

18. कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार(सेवा की शर्ते)एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955

19. कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

20. मातृत्व हितलाभ अधिनियम, 1961

21. बंधुआ श्रम पद्धति(उत्सादन) अधिनियम,1976

1. मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936

राज्य में 10000 रू0 प्रतिमाह तक के वेतन पाने वाले सभी श्रमिकों को निश्चित समय पर बिना किसी अनुचित व अवैधानिक कटौती के वेतन दिलवाने के उद्‌देश्य से इस अधिनियम की रचना की गई है। विभाग के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों के संबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष उक्त राशि का दावा प्रस्तुत किया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी श्रमिक द्वारा भी अनुचित एवं अवैद्य कटौती तथा वेतन न मिलने के संबंध में प्रबन्धक के विरूद्ध दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

श्रम आयुक्त एवं मुख्यालय पर नियुक्ति सभी अधिकारी पूरे राज्य के लिए एवं अधिनस्थ कार्यालयों के अधिकारी अपने क्षेत्र के लिए प्राधिकारी नियुक्त है।

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

प्रदेश में कृषि सहित 62 अनुसूचित नियोजनों पर यह अधिनियम लागू किया गया है इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार को अनुसूचित नियोजनों में कार्यरत श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने एवं समय समय पर दरों को संशोधित करने का अधिकार है। विभाग के श्रम निरीक्षक इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों का निरीक्षण करने एवं अधिनियम की अनुपालना करवाने हेतु अधिकृत है।

इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी श्रमिक को न्यूनतम वेतन से कम वेतन मिलने पर, साप्ताहिक अवकाश के वेतन तथा अतिरिक्त समय किये गये कार्य के वेतन का भुगतान नहीं होने पर स्वयं श्रमिक द्वारा अथवा निरीक्षकों द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष रकम का दावा (क्लेम) प्रस्तुत किया जा सकता है।

3. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कार्य के घण्टों व सेवा शर्तों का नियमन करना है। यह अधिनियम दुकानों व वाणिज्यिक संस्थानों, होटल व रेस्टोरेन्ट, सिनेमा थियेटर आदि पर लागू है। इस समय अधिनियम राज्य में 115 स्थानों पर लागू है। 35 स्थानों पर इस अधिनियम की सम्पूर्ण धाराएं लागू है, 57 स्थानों पर अधिनियम की धारा 4,5,6,11,12 व 33 लागू है तथा 23 स्थानों पर अधिनियम की धारा 4,5,6,12 एवं 33 लागू है।

दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत प्रतिवर्ष लाईसेंसों का नवीनीकरण कराने की कठिनाई से संस्थानों को मुक्त करने के लिए एकमुश्त राशि एक ही बार जमा कराने का प्रावधान कर दिया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों, होटल व रेस्टोरेन्ट का पंजीयन करवाना आवश्यक है।

4. मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, 1961

राज्य के उन सभी मोटर यातायात संस्थानों पर यह अधिनियम लागू है, जिनमें 2 या 2 से अधिक श्रमिक कार्यरत है। इस अधिनियम के अंतर्गत संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों के स्वास्थ्य, कल्याण एवं कार्य अवधि आदि का नियमन किया गया है।

5. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

इस अधिनियम के तहत वर्तमान में 10000/—रू0 तक प्रतिमाह वेतन पाने वाले श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में एक बार बोनस राशि का भुगतान करने का प्रावधान है। बोनस नियमानुसार नहीं दिये जाने पर नियोजक के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत देय बोनस का भुगतान श्रमिक को करवाने हेतु प्राधिकारी के समक्ष (वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत) दावा पेश किया जाता है।

6. बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्ते) अधिनियम, 1966

इस अधिनियम के अंतर्गत बीडी उद्योग में श्रमिकों के नियोजन की शर्तों का नियमन किया गया है। राज्य में इस अधिनियम की पालना हेतु संयुक्त श्रम आयुक्त (मुख्यालय) को समस्त राज्य के लिए मुख्य निरीक्षक तथा विभाग के सभी निरीक्षक एवं श्रम कल्याण अधिकारी, उनके क्षेत्राधिकार में और मुख्यालय का श्रम कल्याण अधिकारी सम्पूर्ण राज्य के लिए निरीक्षक है। श्रम आयुक्त एवं अतिरिक्त श्रम आयुक्त व पदेन उप शासन सचिव राज्य की अपीलों की सुनवाई के लिए अपील अधिकारी है।

इस अधिनियम के अंतर्गत बीड़ी संस्थानों को लाईसेंस लेना एवं उनका नवीनीकरण करवाना आवश्यक है जिसके लिए क्षेत्रीय संयुक्त/उप/सहायक श्रम आयुक्त प्राधिकृत है।

7. ठेका श्रमिक (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

यह अधिनियम उन सभी संस्थानों तथा ठेकेदारों पर लागू होता है जो 20 या इससे अधिक ठेका श्रमिक नियोजित करते है। इस अधिनियम के अंतर्गत उन संस्थानों में जिनमें ठेके पर काम होता है, ऐसे संस्थानों के मुख्य नियोजकों का पंजीयन एवं ठेकेदारों को लाईसेंस जारी किये जाते है। इसके लिए जिला स्तर पर पंजीयन एवं अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किये हुए है एवं संयुक्त श्रम आयुक्त (आई.आर) मुख्यालय को सम्पूर्ण राज्य के लिए पंजीयन एव अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त किया गया है तथा संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त, (जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, जोधपुर) को उनके संभाग के लिए अधिनियम की धारा 7,8,12 एवं 14 के प्रयोजनार्थ अपील सुनने के लिए अधिकृत किया हुआ है।

8. उपादान भुगतान अधिनियम, 1972

इस अधिनियम के अनुसार उन सभी कारखानों एवं व्यावसायिक संस्थानों जिनमें 10 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते है, सेवानिवृति, मृत्यु एवं सेवा से त्याग–पत्र के समय यदि किसी कर्मकार ने 5 वर्ष या इससे अधिक सेवाकाल पूर्ण कर लिया है (लेकिन मुत्यु एंव स्थाई अपंगता के आधार पर सेवा समाप्ति के मामलों में एक वर्ष का सेवाकाल पूर्ण होने पर) तो उपादान के रूप में उसे प्रत्येक वर्ष के सेवाकाल के लिए 15 दिन का वेतन दिये जाने का प्रावधान है । इस अधिनियम के अंतर्गत नियमानुसार विभाग के अधिकारी, कार्याधिकार क्षेत्र में नियंत्रक अधिकारी है। श्रम आयुक्त तथा अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव इस अधिनियम के अंतर्गत अपीलेट प्राधिकारी है।

9. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

इस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं एवं पुरूषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिये जाने का प्रावधान सभी शिक्षण संस्थानो, अस्पताल, नर्सिंग होम्स तथा अन्य अनुसूचित नियोजनों पर लागू है। यदि किन्हीं श्रमिकों को समान वेतन से कम वेतन भुगतान किया जाता है तो वह श्रमिक स्वयं अथवा निरीक्षक के माध्यम से सक्षम अधिकारी के समक्ष कम दिये गये वेतन का दावा प्रस्तुत कर सकता है।

10. विक्रय बढोतरी कामगार (सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1976

यह अधिनियम वर्तमान में फार्मास्युटिकल इण्डस्ट्रीज पर ही लागू है। इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने सभी निरीक्षकों एवं श्रम कल्याण अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र में निरीक्षक नियुक्त किया हुआ है। मुख्यालय पर नियुक्त श्रम कल्याण अधिकारी सम्पूर्ण राज्य के लिए निरीक्षक है।

11. केन्द्रीय अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन, विनियमन एवं सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1979

राज्य सरकार ने इस अधिनियम को वर्ष 1981 से लागू किया है। उक्त अधिनियम के अंतर्गत यदि कोई ठेकेदार 5 या 5 से अधिक अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार किसी कार्य पर नियोजित करता है, तो इस अधिनियम के अंतर्गत अलग से लाईसेंस लेना अनिवार्य है तथा मुख्य नियोजक को पंजीकरण करवाना आवश्यक है। अन्तर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार वह कर्मकार है जो किसी दूसरे प्रान्त का रहने वाला है तथा ठेकेदार उसे नियोजित कर राजस्थान में कार्य करने हेतु लाया है या राजस्थान के बाहर कार्य करने हेतु ले गया है। यह अधिनियम अन्तर्राज्यीय प्रवासी श्रमिकों के नियोजन, विनियमन एवं सेवा शर्तों के संबंध में सुधार एवं लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बनाया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत विभाग के सभी अधिकारी अपने अपने कार्याधिकार क्षेत्र के पंजीयन तथा लाईसेंस जारी करने हेतु पंजीयन एंव अनुज्ञापन अधिकारी नियुक्त है।

12. कार्यकारी पत्रकार एवं अन्य समाचार पत्र कामगार (सेवा की शर्ते) एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1955

श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्ते और प्रकीर्ण उपबन्ध) अधिनियम, 1955 की धारा–9 और 13–ग के अधीन गठित 'मणिसाना वेज बोर्ड अवार्ड' की सिफारिशों को भारत सरकार द्वारा कतिपय संशोधनों के साथ स्वीकार करते हुए 05 दिसम्बर, 2000 के राजपत्र में प्रकाशित किया है।

इस अधिसूचना के अनुरूप राज्य के समाचार–पत्र संस्थानों एवं समाचार एजेन्सियों में कार्यरत पत्रकार एवं गैर पत्रकार कर्मचारियों के लिए वेतन एवं अन्य सुविधाओं के भुगतान की व्यवस्था को क्रियान्वित करने एवं क्रियान्विति की समयबद्ध रूप से समीक्षा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक त्रिपक्षीय समिति का गठन किया गया है जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ साथ समाचार–पत्र संस्थानों एवं समाचार–पत्रों से जुड़े एसोसियेशनों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया गया है।

इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य में श्रम विभाग के सभी निरीक्षकों को उनके अधिकार क्षेत्र में निरीक्षक नियुक्त किया हुआ है तथा श्रम आयुक्त सक्षम अधिकारी है।

13 बाल श्रमिक (प्रतिषेघ एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

यह अधिनियम लगभग सभी कारखानों एंव अन्य संस्थानो पर लागू होता है। अधिनियम के तहत मुख्य रूप से जोखिमपूर्ण व्यवसायों एव प्रक्रियाओ मे बाल श्रमिकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है। गैर जौखिमपूर्ण कार्यो में बाल श्रमिकों के नियोजन को पूर्णरूप से प्रतिबंधित तो नही किया गया है लेकिन उनकी कार्य की दशाओं को विनियमित किया गया है। वर्तमान में 15 व्यवसायों तथा 57 प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों का नियोजन पूर्णरूप से प्रतिषेधित है। इनमें मुख्य रूप आतिशबाजी, आटोमोबाईल, जहरीले एवं ज्वलनशील पदार्थो का रखरखाव, प्लास्टिक उद्योग, बीडी, सीमेन्ट, गलीचा, साबुन, जैम कटिंग, भवन एंव निर्माण, ईट भट्टे, पत्थर तोडने व पीसने मे नियोजन आदि प्रमुख व्यवसाय एवं प्रक्रियाए सम्मिलित है।

अर्द्ध न्यायिक कार्य

श्रम विभाग में नियुक्त श्रम आयुक्त, अति. श्रम आयुक्त, सयुक्त श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, सहायक श्रम आयुक्त, एंव श्रम कल्याण अधिकारियों को प्रशासनिक कार्य की शक्तियों के साथ–साथ विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत दावों को सुनने एंव उनका निस्तारण करने की अर्द्ध न्यायिक शक्तियां भी प्रदान की गई है। इन अधिकारियों द्वारा मुख्य रूप से न्यूनतम वेतन अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम, कर्मकार क्षतिर्पूति अधिनियम, उपादान भुगतान अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम एंव राजस्थान दुकान एंव वाणिज्य संस्थान अधिनियम के अन्तर्गत अर्द्ध न्यायिक कार्यवाही की जा रही है ।

1. न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948

अल्प वेतन भोगी एवं मुख्य रूप से अंसगठित क्षेत्र के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन सुनिशचित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा विद्यमान 39 अनुसूचित नियोजनों को बढाकर 62 किया गया तथा उनमें न्यूनतम वेतन दरों का पूर्ननिर्धारण किया गया। 6 अनुसूचित नियोजनों को महंगाई सूचकांक से जोड़ा हुआ है, इन नियोजनों में भी नई दरों का निर्धारण किया गया। न्यूनतम वेतन श्रम सलाहाकार मण्डल से विचार–विमर्श के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.3.08 से अकुशल, अर्द्धकुशल एंव कुशल श्रमिकों के लिए क्रमंश रूपया 100/–, 107/– एंव 115/–प्रतिदिन की दर निर्धारित की गई है।

राज्य में 6 अधिसूचित नियोजनोः पत्थर तोड़ने या पीसने में नियोजन (खानों के बाहर), ग्लास एवं चायनावेयर संस्थान, नमक उद्योग, उनी गलीचे बनाने वाले, दुशाले

बुनने वाले संस्थान के नियोजन, पापड़ एवं किसी तम्बाकू (जिसके अंतर्गत बीड़ी बनाना भी है) अभिनिर्माण नियोजन में न्यूनतम मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़कर परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की व्यवस्था लागू की गई है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रवर्तित एंव राज्य प्रवर्तित श्रम–रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं के नियोजन में नियोजित कर्मचारियों के संबंध मे श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 5 (6) न्यू.वे. /श्रम/2002/पार्ट दि0 24 मई, 2008 के द्वारा तथा सभी प्रकार के अकाल राहत कार्यो पर नियोजन मे नियोजित कर्मचारियों के संबंध मे श्रम विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 5 (6) न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट दि0 24 मई, 2008 के द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरे पुनरिक्षित की जा चुकी है।

अधिनियम की अनुपालना प्रमुख रूप से विभाग मे नियुक्त श्रम निरीक्षकों के माध्यम से करायी जाती है। श्रम निरीक्षक इस अधिनियम के तहत निरीक्षक नियुक्त हैं। उनके द्वारा समय समय पर संस्थानों के निरीक्षण किये जाते है और यदि किसी संस्थान में श्रमिकों को न्यूनतम दरों से कम वेतन का भुगतान करना पाया जाता है तो वे अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकारी के समक्ष न्यूनतम वेतन से कम किये गये भुगतान, साप्ताहिक अवकाश के दिनों मे लिये गये कार्य के एवज में भुगतान तथा अधिसमय कार्य के भुगतान के लिए दावा प्रस्तुत करते है। प्राधिकारी द्वारा भुगतान के अंतर के अलावा 10 गुणा तक मुआवजा दिये जाने के आदेश पारित किये जा सकते है।

2. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936

दुकान एंव वाणिज्य संस्थानों, कारखानों, खानों, वर्कशाप, मोटर परिवहन, रेल्वे, आदि संस्थानों में कार्य करने वाले श्रमिको के वेतन के भुगतान को विनियमित करने के उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया गया है। अधिनियम के तहत श्रमिकों के वेतन भुगतान की समय सीमा, वेतन मे से की जा सकने वाली कटौतियों के प्रावधानों के अलावा अवैध रूप से वेतन से कटौती एंव वेतन का भुगतान नहीं किये जाने के संबंध में अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान किये गये है। इस अधिनियम के तहत अभी तक 10000 रूपये मासिक तक वेतन पाने वाले श्रमिकों को ही राहत प्राप्त करने का अधिकार है । केन्द्र सरकार द्वारा यह वेतन सीमा शीध्र ही बढाये जाने का प्रस्ताव है। अधिनियम के तहत दावे संबंधित श्रमिक या उनके प्रतिनिधियों या श्रम निरीक्षकों द्वारा प्रस्तुत करने का प्रावधान है । श्रम विभाग के जिला कार्यालयों में पदस्थापित अधिकारी अधिनियम के तहत प्राधिकारी नियुक्त है, जिन्हें दावे सुनने का अधिकार हैं। प्राधिकारी को अवैध रूप से रोकी गई राशि अथवा अवैध कटोती राशि को वापिस दिलाने तथा उस पर 10 गुणा तक मुआवजा दिलाने का अधिकार है।

3. बोनस भुगतान अधिनियम, 1965

इस अधिनियम के तहत वर्तमान में 3500/–रू0 प्रतिमाह जिसे 10000 करने के लिए निर्णय लिया गया है, वेतन पाने वाले श्रमिकों को वेतन के अतिरिक्त वर्ष में एक बार बोनस राशि का भुगतान करने का प्राध्धान है। बोनस नियमानुसार नहीं दिये जाने पर नियोजक के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत देय बोनस का भुगतान श्रमिक को करवाने हेतु प्राधिकारी के समक्ष (वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के तहत) दावा पेश किया जाता है।

4. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923–

यह अधिनियम दुकान एंव वाणिज्य संस्थानों, कारखानों, रेल्वे, खानों, मोटर यातायात संस्थानों, लधु उद्योगों, सिनेमा, सर्कस, भवन निर्माण, कृषि, आदि नियोजनों पर लागू होता है। उक्त नियोजनों में कार्यरत किसी श्रमिक को यदि कार्य के दौरान दुर्घटना या बीमारी के कारण कोई चोट या क्षति पंहुचती है तो श्रमिक कों अधिनियम के प्रावधानों के तहत क्षतिपूर्ति राशि नियोजक से प्राप्त करने का अधिकार है। क्षतिपूर्ति राशि के रूप में मृत्यु के मामले में श्रमिक को उसके मासिक वेतन की 50 प्रतिशत राशि को संबद्ध सूत्र से गुणा करने पर प्राप्त राशि अथवा 80,000 रूपये जो भी अधिक हो एंव स्थाई अपंगता के मामलों में मासिक वेतन के 60 प्रतिशत को सम्बद्ध सूत्र से गुना करने पर प्राप्त राशि अथवा 90,000 रूपये जो भी अधिक हो प्राप्त हो सकती है। राशि प्राप्त करने के लिए श्रमिक या उसके आश्रित द्वारा क्षेत्र में नियुक्त कर्मकारी क्षतिपूर्ति आयुक्त जो कि श्रम विभाग के अधिकारी है, के समक्ष दावा प्रस्तुत करना होता है।

5. मातृत्व हितलाभ अधिनियम 1961

यह अधिनियम 10 या 10 से अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले लगभग सभी दुकानों एंव वाणिज्य संस्थानों, कारखानों, बागान, आदि में कार्यरत महिला श्रमिकों को प्रसूति लाभ दिलाने के लिए निर्मित किया गया है।

अधिनियम के तहत पात्र महिला श्रमिकों को प्रसूति काल में मिलने वाली राशि के अतिरिक्त शिशु जन्म के छः सप्ताह पूर्व एंव छः सप्ताह पश्चात् की अवधि के लिए वेतन सहित अवकाश भी मिलता है। गर्भपात एवं टयूबैक्टोमी आपरेशन की स्थिति में भी यह सुविधा प्राप्त हो सकती है। अधिनियम के तहत महिला श्रमिकों को शिशु के पोषण के लिए कार्यअवधि में अतिरिक्त विश्राम देने का भी प्रावधान है।

6. उपादान भुगतान अधिनियम 1972

यह अधिनियम 10 या इससे अधिक श्रमिक नियोजित करने वाले दुकानो एंव वाणिज्य संस्थानों, कारखानों, खानों, तेल क्षेत्रों, शैक्षणिक संस्थानों, आदि में लागू होता है। अधिनियम के तहत पांच वर्ष की न्यूनतम सेवा वाले कर्मचारी अपनी सेवा समाप्ति पर प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए 15 दिवस के वेतन के बराबर प्राप्त करने के हकदार है।

अधिनियम के तहत दावों को सुनने व वसूली कार्यवाही के लिए श्रम विभाग के जिला कार्यालयों मे पदस्थापित अधिकारियों को अधिकृत किया गया है। कोई भी कर्मचारी अथवा उसका प्रतिनिधि या वारिस राशि प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है।

शासकीय कार्य

विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत 'समुचित सरकार' परिभाषित की गई है। विभाग में समुचित सरकार के कार्य श्रम आयुक्त एंव विशिष्ट शासन सचिव श्रम एवं नियोजन तथा अतिरिक्त श्रम आयुक्त एंव उप शासन सचिव (श्रम) द्वारा संपादित किये जाते है।

प्रमुख कार्य निम्न प्रकार है :–

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत विवादों का श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों को न्याय निर्णयार्थ प्रेषित किया जाना।
2. श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों द्वारा पारित अवार्ड का प्रकाशन एवं लागू करवाना।
3. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 33सी (1) के तहत वसूली प्रमाण पत्र जारी करना।
4. अधिनियम की धारा 25 टी, यू एंव 29 के संबंध में धारा 34 के तहत अभियोजन स्वीकृतियां जारी करना।
5. अधिनियम की धारा 10(3) एंव 10 'के' के तहत हडताल एंव तालाबंदी को प्रतिबंधित करना।
6. विभिन्न श्रम अधिनियमों में सशोधन हेतु नोटिफिकेशन जारी करना।
7. प्राधिकारीयों तथा विभिन्न समितियों मे सदस्यों को नियुक्त करना।
8. श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में पीठासीन अधिकारियों की नियुक्तियां

अन्य कार्य

1. मणिसाना वेतन बोर्ड

समाचार संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य सेवा शर्तो में सुधार के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वर्ष 1994 में मणिसाना वेतन बोर्ड का गठन किया गया था जिसकी वर्ष 2000 में रिपोर्ट प्राप्त हुईं। वेतन बोर्ड की सिफारिशों की

क्रियाविन्ति के लिए राजस्थान राज्य में माननीय उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि, समाचार पत्र संस्थानों के नियोजक एंव कर्मचारीयो के प्रतिनिधि सम्मिलित है। समिति के पुर्नगठन की कार्यवाही विचाराधीन है।

2. स्थाई श्रम समिति

भारत सरकार श्रम मंत्रालय द्वारा गठित स्थाई श्रम समिति में नियोजकों एंव श्रम प्रतिनिधियों के साथ–साथ राज्य सरकार के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है इस समिति में श्रम नीति पर विचार–विमर्श किया जाता है और भारतीय श्रम सम्मेलन के लिए मसोदा तैयार किया जाता है। राज्य में केन्द्र सरकार के अनुरूप ही स्थाई श्रम समिति का गठन किया हुआ है जिसके पुर्नगठन की कार्यवाही की जा रही है।

3. भारतीय श्रम सम्मेलन

श्रम नीति के निर्धारण के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष भारतीय श्रम सम्मलेन का आयोजन किया जाता है। इसमें नियोजक, श्रमिक, एवं राज्य तथा केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित होते है। भारतीय श्रम सम्मलेन का 41 वां अधिवेशन दिनांक 27–28 अप्रैल, 2007 को सम्पन्न हुआ । सम्मेलन में श्रम कानूनों के प्रर्वतन, बोनस भुगतान अधिनियम, 1965 ठेका श्रम(विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 तथा युवकों के रोजगार के अवसर बढाने आदि वि यों पर चर्चा हुई ।

4. बाल श्रम

जोखिमपूर्ण नियोजनों में 14 वर्ष से कम आयु के बालको के नियोजन को बाल श्रम (प्रतिषेघ एंव विनियमन) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया गया है तथा गैरजोखिमपूर्ण नियोजनों मे उनकी कार्य दशाओं को नियमित करने के प्रावधान है।

वर्तमान में 15 व्यवसायों एंव 57 प्रक्रियाओं मे बाल श्रमिकों के नियोजन को पूर्णरूप से प्रतिबंधित किया गया है।

बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य में सर्व प्रथम जयपुर जिले में जैम कटिंग एवं कालीन उद्योग में लगे बाल श्रमिकों को शिक्षित एवं पुर्नवासित करने हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना स्वीकृत की गई तत्पश्चात् विभिन्न वर्षों में अन्य 5 जिलों में परियोजनाए स्वीकृत की गई जो कि क्रमशः उदयपुर, अजमेर, जोधपुर, टोंक व अलवर है । जिसके अन्तर्गत संचालित 279 विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के अन्तर्गत 13950 बच्चे लाभान्वित हो रहे है तथा इन विद्यालयों में अभी तक 14234 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोडा जा चुका है ।

बाल श्रम उन्मूलन के महत्व एवं राज्य में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाओं की सफलता के फलस्वरूप द्वितीय चरण में श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा क्रमशः भीलवाडा, श्रीगंगानगर एवं बाडमेर में क्रमशः 44, 40 व 43 विद्यालय स्वीकृत किये गये, जिनमें 6350 बच्चे लाभान्वित हो रहे है ।

तृतीय चरण में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य के 14 जिलों में विशेष बाल श्रमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये है जो कि क्रमशः धौलपुर, पाली, डूंगरपुर ,बूंदी, चूरू, जालौर ,नागौर ,बांसवाडा, झालावाड, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौडगढ, झुन्झुनू व सीकर है । इन 14 जिलों में 351 विशेष बाल श्रमिक विद्यालयों के मार्फत 17550 बाल श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है । इस प्रकार प्रथम चरण में 279 विद्यालयों में 13950 द्वितीय चरण में 127 विद्यालयों में 6350 तथा तृतीय चरण में 351 विद्यालयों में मार्फत 17550 बाल श्रमिक लाभान्वित हो रहे है अर्थात् राज्य में 774 विशेष विद्यालयों के माध्यम से 38700 बाल श्रमिकों को लाभान्वित किया जा रहा है ।

चौथे चरण में श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007 में राज्य के 6 जिलों में विशेष बाल श्रमिक विद्यालय स्वीकृत किये गये है जो क्रमशः दौसा, हनुमानगढ, करौली, बांरा, कोटा व सवाईमाधोपुर है । इनमें से हनुमानगढ में 22 बाल श्रमिक विशेष विद्यालय स्वीकृत हुए है जिनमें से 17 आरम्भ हो गये है जिनमें 850 बच्चे अध्ययनरत है । शेष जिलों में विद्यालय आरम्भ करने की कार्यवाही की जा रही है ।

5. महिला श्रम

महिला श्रमिकेां की उनके कार्यस्थल पर बेहतर कार्य दशाये सुनिशिचित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाये गये है जैसे–कार्यस्थलों पर उनके यौन शोषण को रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी करना, औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेशो) में किये गये संशोधन की क्रियांविति एव समान पारिश्रमिक अधिनियम की पालना सुनिश्चित करवाने की कार्यवाही। महिलाओं को रोजगार के अधिक अधिक से अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के तहत एक राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया है जिसके पुर्नगठन की कार्यवाही की जा रही है।

6. बंधुआ श्रम

राज्य में बंधुआ श्रमिकों की खोज, मुक्ति एवं पुर्नवास संबधी कार्य पूर्व में विशिष्ट योजना संगठन विभाग द्वारा सम्पादित किया जाता था। अप्रैल 2002 में इस कार्य का दायित्व श्रम विभाग को हस्तांतरित किया गया है। विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में सर्तकता समितियों का गठन/पुर्नगठन करके विभागीय अधिकारीयों को नोडल अधिकारी बनाया गया है। श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001–02 में प्रचार–प्रसार के लिए 10 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई थी। राज्य के 20 जिलों में प्रति जिला रूपया 50,000 की दर से राशि व्यय करने के निर्देश जारी किये गये हैं इसके अलावा इस हेतु विभिन्न जिलों में वर्कशॉप एंव नुक्कड़ नाटकों के आयोजन का भी विचार है। राज्य में बंधुआ श्रमिकों की खोज, मुक्ति एंव पुनर्वास कार्यक्रम की समीक्षा करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति का गठन किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी समय –समय पर इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

श्रम मंत्रालय, भारत सरकार एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सहयोग से बंधक श्रम के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु कलेक्टर्स की दो कार्यशालाऐं क्रमशः 25.2.05 एवं 29. 11.05 को आयोजित की गई।

7. अंसगठित क्षेत्र में श्रमिकों का कल्याण

- भारत सरकार के सहयोग से राज्य में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किये गये है। इस संबंध मे भारत सरकार द्वारा बनाये जा रहे अंसगठित क्षेत्र श्रमिक बिल 2004 पर राज्य सरकार द्वारा अपनी सहमति प्रेषित कर दी गई है।
- श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के उद्देश्य से भारत सरकार श्रम मंत्रालय के सहयोग से बीडी, चूना, डोलोमाईट एवं अन्य खनन कार्यो में लगे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तथा आवास योजनाओं के क्रियावन्यन की कार्यवाही की जा रही है।
- **'कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना'** लागू करके राज्य के श्री गंगानगर एवं उदयपुर जिलों में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लाभाविन्त किया जा रहा है।
- राज्य के कुछ जिलों में भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से रिक्शा चालकों के लिए **जन श्री बीमा योजना** लागू की गई है, इस योजना के तहत अन्य असगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी सम्मलित करने के प्रयास किये जा रहे है।
- भवन एव अन्य निर्माण कार्यो में लगे श्रमिकों को **भवन एंव अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम** के अन्तर्गत देय लाभों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य के नियमों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

8. श्रम कानूनों में संशोधन

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा लगभग 13 श्रम कानूनों में सशोंधन की कार्यवाही की जा रही हैं। श्रम कानून संविधान की समवर्ती सूची में होने के कारण राज्य सरकार भी अपने स्तर से कुछ कानूनों में सशोंधन की कार्यवाही कर रही है, जिसके तहत ठेका श्रमिक अधिनियम एवं औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत सशोंधन के प्रस्ताव विचाराधीन है।

9. श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों का कार्य

श्रमिक विवादों के त्वरित निस्तारण के उद्देश्य से राज्य में 10 स्थानों पर श्रम न्यायालय एंव औद्योगिक न्यायधिकरण कार्यरत है। जयपुर शहर में 2 श्रम न्यायालय तथा एक औद्योगिक न्यायाधिकरण कार्यरत है, तथा शेष 9 यथा स्थानों पर ये न्यायालय संयुक्त रूप से कार्यरत है।

10. श्रम सांख्यिकी संबंधी कार्य

श्रम विभाग द्वारा केन्द्र सरकार, श्रम ब्यूरो शिमला एवं चढीगढ, राज्य सरकार (योजना विभाग) को विभिन्न अधिनियमों के तहत सांख्यिकी सूचनाये प्रेषित की जाती है, इसके अलावा राज्य स्तर पर मूल्य सूचकांक की सांख्यिकी सूचना जारी की जाती है।

11. बजट एंव विभागीय आय

श्रम विभाग द्वारा कुछ श्रम अधिनियमों के तहत पंजीयन एंव नवीनीकरण का कार्य भी किया जाता है जिसके तहत राजस्व आय प्राप्त होती है उदाहरण के लिए राजस्थान दुकान एंव वाणिज्य संस्थान अधिनियम, श्रमिक संघ अधिनियम, ठेका श्रमिक अधिनियम, मोटर यातायात श्रमिक अधिनियम, बीडी श्रमिक अधिनियम, आदि।

12. जनश्री बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम की एक सामूहिक सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसका प्रमुख उद्देश्य उन ग्रामीण एवं शहरी निर्धन लोगों को सस्ती एवं रियायती दरों पर बीमा सुरक्षा प्रदान करना है, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। योजना का लाभ संबंधित वर्गों को पहुॅचाने हेतु सरकार एवं निगम ने कुल समूह/वर्ग चिन्हित किये हैं जो अपने संगठन अथवा संस्था के माध्यम से योजना लागू करवा सकते हैं।

13. विश्वकर्मा गैर संगठित कामगार अंशदायी पेंशन योजना,2007

माननीया मुख्यमंत्री महोदया के बजट भाषण 2007–08 की घोषणा के अनुसरण में राजस्थान राज्य में गैर संगठित कामगारों को पेंशन देने हेतु उक्त योजना दिनांक 1. 9.2007 से लागू की गई है।

मैन्युअल–II

विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व

मुख्यालय

श्रम आयुक्त	1. विभागाध्यक्ष के रूप में समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार 2. कुछ श्रम अधिनियमों के तहत प्राधिकारी/अपीलीय अधिकारी के रूप में अर्द्धन्यायिक कार्यों का अधिकार 3. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता

	अधिकारी
अतिरिक्त श्रम आयुक्त	1. विभागाध्यक्ष के लिंक अधिकारी के रूप में प्रशासनिक अधिकार 2. पदेन उप शासन सचिव के रूप में शासकीय कार्य 3. औद्योगिक विवाद अधिनियम एवं कुछ अन्य अधिनियमों के तहत वसूली एवं अभियोजन स्वीकृति का कार्य 4. उपादान भुगतान अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी 5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी .
संयुक्त श्रम आयुक्त	1. प्रशासनिक कार्यो के लिये शाखा प्रभारी के रूप में अधिकार 2. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधि0, 1946 के तहत प्रमाणितकर्ता अधिकारी 3. संयुक्त श्रम आयुक्त (आईआर) – ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत रजिस्ट्रार एवं ठेका श्रम अधिनियम के तहत सम्पूर्ण राजस्थान के लिए पंजीयन/लाईसेसिंग अधिकारी। 4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी
उप श्रम आयुक्त	1. श्रम आयुक्त, अति0 श्रम आयुक्त एवं संयुक्त श्रम आयुक्त के लिंक अधिकारी के रूप में कार्य 2. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी
सहायक श्रम आयुक्त	1. सहायक अधिकारी के रूप में कार्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी
श्रम कल्याण अधिकारी	1. सहायक अधिकारी के रूप में कार्य औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी
अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी	उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य, जिनमें लिपकीय एवं अन्य कार्य सम्मिलित है।
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	सहायक सेवक के रूप में कार्य

अधीनस्थ कार्यालय

संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त	1. संभाग में स्थित समस्त अधिनस्थ कार्यालयों का पर्यवेक्षकीय कार्य। 2. स्वयं के कार्यालय हेतु, कार्यालय अध्यक्ष के रूप में प्रदत्त समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य। 3. विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत प्राधिकारी के रूप में अर्द्धन्यायिक कार्य। 4. ठेका श्रम अधिनियम के तहत अपीलीय अधिकारी एवं मोटर ट्रान्सपोर्ट अधिनियम, बीड़ी सिगार अधिनियम, अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के तहत पंजीयन एवं लाईसेसिंग अधिकार 5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी
क्षेत्रीय उप श्रम आयुक्त / सहायक श्रम आयुक्त / श्रम कल्याण अधिकारी	1. कार्यालय अध्यक्ष के रूप में प्रदत्त समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य। 2. विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत प्राधिकारी के रूप में अर्द्धन्यायिक कार्य। 3. ठेका श्रम अधिनियम, मोटर ट्रान्सपोर्ट अधिनियम, बीड़ी सिगार अधिनियम, अन्तर्राज्जीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के तहत पंजीयन एवं लाईसेसिंग अधिकारी। 4. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी
श्रम निरीक्षक	1. विभिन्न श्रम अधिनियमों के प्रवर्तन का कार्य 2. दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन अधिकारी 3. विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति 4. विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत सहायक लोक अभियोजक के रूप में कार्य 5. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत समझौता अधिकारी
अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक कर्मचारी	उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित कार्य, जिनमें लिपकीय एवं अन्य कार्य सम्मिलित है।
चतुर्थश्रेणी कर्मचारी	सहायक सेवक के रूप में कार्य

मैन्युअल–III

निर्णय लेने की प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं दायित्व निर्धारण

प्रशासनिक निर्णय

विभाग को प्राप्त होने वाले पत्रों/प्रतिवेदनों को संबंधित लिपिक द्वारा पत्रावली पर शाखा प्रभारी या कार्यालय अधीक्षक के माध्यम से सहायक/उप श्रम आयुक्त को प्रस्तुत किया जाता है। सहायक/उप श्रम आयुक्त आवश्यकतानुसार उस पर अतिरिक्त श्रम आयुक्त अथवा श्रम आयुक्त से स्वीकृति प्राप्त कर जवाब देते है। यदि प्रकरण में राज्य सरकार की स्वीकृति आवश्यक होती है तो पत्रावली श्रम सचिव/श्रम मंत्री को भिजवायी जाती है।

संभागीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पत्रावलियां कार्यालय अध्यक्ष को प्रस्तुत की जाती है। यदि कार्यालय प्रक्रिया के तहत प्रकरण पर उनके स्तर से निर्णय देने का अधिकार होता है तो तदानुसार निर्णय दिया जाता है और यदि श्रम आयुक्त या राज्य सरकार की ओर स्वीकृति आवश्यक होती है तो प्रकरण मुख्यालय को भिजवाया जाता है।

वित्तीय निर्णय

मुख्यालय स्तर पर सहायक लेखाधिकारी के द्वारा प्रकरण श्रम आयुक्त को प्रस्तुत किये जाते है और संभागीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाकार या कनिष्ठ लेखाकार के माध्यम से कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किये जाते है, जो उन पर प्राप्त वित्तीय अधिकारों के तहत निर्णय लेते है। अथवा आवश्यकतानुसार विभागाध्यक्ष से निर्णय प्राप्त करने के लिए कार्यवाही करते है।

न्यायिक निर्णय

विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत विभग के अधिकारी प्राधिकारियों के रूप में अर्द्धन्यायिक कार्य करते है। अर्द्धन्यायिक कार्यवाही में पीडित पक्षकार द्वारा प्राधिकारी के समक्ष संबंधित श्रम अधिनियम एवं नियमों के तहत विहित प्रक्रिया के अनुसार दावे प्रस्तुत किये जाते है, जिन पर प्राधिकारी विपक्षी को नोटिस के माध्यम से बुलाकर जवाब व सुनवाई का अवसर देता है। इसके पश्चात् दोनों पक्षों की स्वयं की अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं की बहस सुनकर निर्णय देता है। निर्णय की संबंधित अधिनियम/नियम में दी गई प्रक्रिया के अनुसार पालना करायी जाती है। यदि कोई पक्ष निर्णय से असंतुष्ट होता है तो निर्धारित प्रक्रियानुसार अपीलीय कार्यवाही कर सकता है।

पंजीयन / लाईसेसिंग

विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत पंजीयन / लाईसेंस का प्रावधान है, जिसे प्राप्त करने के लिए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों में विहित शुल्क के साथ प्रार्थना–पत्र संबंधित अधिकारी / निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाता है। जांच के पश्चात् पंजीयन प्रमाण–पत्र अथवा लाईसेंस जारी किया जाता है। लाईसेंस का नियमों के अनुसार नवीनीकरण किया जाता है।

शासकीय निर्णय

विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत अधिसूचनाएं / आदेश जारी करने, संशोधन करने, नियोजकों या श्रमिकों के विरूद्ध न्यायालयों में अभियोजन दायर करने की अनुमति देने आदि का कार्य राज्य सरकार के स्तर का है जिसे डेलीगेटेड पावर के तहत अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव (श्रम) या श्रम आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव(श्रम) के द्वारा किया जाता है। इस हेतु संबंधित प्रकरण को डीलींग क्लर्क के द्वारा संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त / श्रम आयुक्त यदि रूल्स ऑफ बिजनेस के अनुसार प्रकरण में स्वीकृति देने के लिए सक्षम होते है तो अपने स्तर से स्वीकृति जारी करते है और यदि सक्षम नहीं होते है तो प्रकरण को सक्षम स्वीकृति के लिए श्रम सचिव / श्रम मंत्री को भिजवाते है जिनके अनुमोदन / स्वीकृति के पश्चात् आदेश जारी किये जाते है।

पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व

मुख्यालय स्तर पर समग्र पर्यवेक्षण का दायित्व श्रम आयुक्त का है। श्रम आयुक्त के सहयोग के लिए अतिरिक्त श्रम आयुक्त के द्वारा भी यह कार्य किया जाता है। संभागीय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में पर्यवेक्षण का पूरा दायित्व कार्यालयाध्यक्ष का होता है। कर्तव्यों के निर्वहन का दायित्व संबंधित शाखा प्रभारी का होता है।

मैन्युअल–प्ट

कार्यों के निष्पादन हेतु निर्धारित मापदण्ड

विभाग में विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत निरीक्षण हेतु श्रम निरीक्षकों के लिए निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित किये गये है जिसके अंतर्गत प्रत्येक श्रम निरीक्षक द्वारा प्रतिमाह 50 निरीक्षण किया जाना आवश्यक है।

मैन्युअल–ट – टप

विभागीय दस्तावेजों का श्रेणीवार विवरण

मुख्यालय स्तरीय

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

1. श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण को न्याय निर्णयार्थ अग्रेषित विवाद संबंधी सूचन
2. श्रम न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरणों से प्राप्त अवार्ड्स के प्रकाशन संबंधी सूचना
3. अभियोजन स्वीकृति संबंधी सूचना
4. वसूली प्रमाण–पत्रों संबंधी सूचना
5. वर्क्स कमेटीज संबंधी सूचना
6. औद्योगिक संस्थानों में तालाबंदी, हड़ताल, छटनी, ले–ऑफ, क्लोजर संबंधी सूचना
7. औद्योगिक संस्थानों में हड़ताल, तालाबंदी आदि को प्रतिबंधित किये जाने संबंधी विशेष आदेशों जो कि अधिनियम की धारा 10 (के), 10 (3) की सूचना
8. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रकाशन संबंधी सूचना
9. औद्योगिक संस्थानों को लोकोपयोगी सेवा घोषित किये जाने संबंधी सूचना
10. अधिनियम के तहत गठित वैद्यानिक बोर्ड/कमेटी की सूचना।

2. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम

1. न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण/ पुनरनिर्धारण संबंधी अधिसूचनाएं
2. अधिनियम के तहत गठित वैद्यानिक बोर्ड/कमेटी की सूचना।
3. अधिनियम के अंतर्गत परिवर्तनशील महंगाई भत्ते हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

3. औद्योगिक नियोजन स्थाई आदेश अधिनियम

1. औद्योगिक नियोजन (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 के अंतर्गत प्रमाणित स्थाई आदेशों की सूचना

4. व्यवसाय संघ अधिनियम,

1. व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अंतर्गत पंजीकृत श्रम संघों/फैडरेशन की सूचना

5. बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम, 1986

1. बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ भारत सरकार के सहयोग से चलायी जाने वाली राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजनाओं संबंधी सूचना
2. बाल श्रम के प्रति जनचेतना जागृत किये जाने संबंधी योजनाएं

3. बाल श्रमिकों के कल्याणार्थ गठित राज्य स्तरीय समितियों संबंधी सूचना
4. अधिनियम के प्रवर्तन संबंधी सूचना

6. बंधुआ श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम

1. अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय समितियों के गठन संबंधी सूचनाएं
2. अधिनियम के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति संबंधी सूचना
3. बंधुआ श्रम उत्सादन हेतु भारत सरकार के सहयोग से चलाये जाने वाली योजनाओं संबंधी सूचना।

7. ठेका श्रमिक अधिनियम, 1970

1. अधिनियम के तहत पंजीयन/लाईसेस संबंधी सूचना
2. अधिनियम के तहत पंजीयन अधिकारी/लाईसेसिंग अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी नियुक्त किये जाने संबंधी सूचना
3. अधिनियम के तहत गठित वैद्यानिक बोर्ड संबंधी सूचना
4. अधिनियम के तहत प्रवर्तन संबंधी सूचना

8. राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958

1. अधिनियम के तहत आच्छादित क्षेत्रों की सूचना
2. अधिनियम के तहत प्रवर्तन अधिकारी/प्राधिकारी नियुक्त किये जाने संबंधी अधिसूचना।
3. अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत छूट दिये जाने संबंधी सूचना

9. उपादान संदाय अधिनियम, 1972

1. अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिये गये निर्णयों की सूचना
2. अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी/प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचनाएं
3. अधिनियम के तहत प्रवर्तन संबंधी सूचनाएं

10. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976

1. अधिनियम के तहत प्राधिकारी की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना
2. प्रवर्तन संबंधी सूचना

3. अधिनियम के तहत गठित वैद्यानिक बोर्ड के गठन संबंधी सूचना

जिला स्तरीय

जिला स्तरीय कार्यालयों पर विभाग के अधिकारियों/निरीक्षकों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों के आधार पर निम्नप्रकार के दस्तावेज/सूचनाएं संधारित रहती है:—

1. अर्द्धन्यायिक कार्य — विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत प्राधिकारी अधिसूचित है। श्रमिकों द्वारा प्रस्तुत दावों का निस्तारण अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए प्राधिकारियों द्वारा किया जाता है। उक्त कार्य से संबंधित निम्न दस्तावेज जिला स्तरीय कार्यालयों में उपलब्ध रहते है जिन्हें न्यायिक प्रक्रिया के तहत नकल आदि प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है:—
    1. वेतन भुगतान अधिनियम के तहत निर्णय की प्रति
    2. न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत निर्णयों की प्रति
    3. उपादान भुगतान अधिनियम के तहत निर्णयों की प्रति
    4. कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के तहत निर्णयों की प्रति
    5. राज0 दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत निर्णयों की प्रति,
    6. बीड़ी एवं सिगार अधिनियम के तहत निर्णयों की प्रति,

2. पंजीयन एवं लाईसेसिंग संबंधी दस्तावेज —
    1. राज0 दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम के तहत जारी किये जाने वाले लाईसेंसं एवं पंजीयन संबंधी सूचना
    2. बीड़ी एवं सिंगार अधिनियम के तहत लाईसेंस एवं पंजीयन संबंधी सूचना।
    3. ठेका श्रम अधिनियम के तहत लाईसेंस एवं पंजीयन संबंधी सूचना।
    4. मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स एक्ट के तहत लाईसेंस एवं पंजीयन संबंधी सूचना।
    5. ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत श्रम संगठनों के पंजीयन संबंधी सूचना (केवल संभीगीय संयुक्त श्रम आयुक्त कार्यालयों में)

3. प्रवर्तन कार्य संबंधी दस्तावेज/सूचना —
    1. विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत किये गये निरीक्षणों की सूचना
    2. न्यायालय में प्रस्तुत चालानों की सूचना
    3. प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत दावों की सूचना

श्रम विभाग के अंतर्गत गठित एंव कार्यरत बोर्ड एंव समितियां

श्रम विभाग में विभिन्न मुद्दों पर नितिगत निर्णय लेने एवं श्रम अधिनियमों की क्रियान्विति के लिए समुचित विचार विमर्श हेतु निम्नलिखित सलाहकार मंडल समितियां गठित है जिनकी बैठकों का कार्यवाही विवरण संबंधित सदस्यों को उपलब्ध कराया जाता है जो कि विभिन्न वर्गो का प्रतिनिधित्व करते हैः–

क्र.सं.	बोर्ड/समिति का नाम	अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य सचिव	सदस्य
1प	राजस्थान श्रम सलाहकार मंडल	श्रम मंत्री/ श्रम राज्य मंत्री/ सं.श्र.आ. (आईआर)	1.राजकीय प्रतिनिधि– 10 2.श्रमिक प्रतिनधि – 14 3.नियोजक प्रतिनिधि – 5
2प	राज्य स्तरीय स्थाई श्रम समिति	श्रम मंत्री/ सं.श्र.आ. (आईआर)	1. राजकीय प्रतिनिधि– 8 2. श्रमिक प्रतिनधि – 6 3. नियोजक प्रतिनिधि – 4 4. अन्य क्षेत्रों से – 4
3प	राजस्थान ठेका श्रम सलाहकार मंडल	श्रम मंत्री/सं.श्र.आ. (आईआर)	1. राजकीय प्रतिनिधि– 5 2. श्रमिक प्रतिनधि – 5 3. ठेकेदार प्रतिनिधि – 1
4प	राज्य स्तरीय समान पारिश्रमिक सलाहकार समिति	श्रम मंत्री/ श्रम राज्य मंत्री/ सं.श्र.आ. (आईआर)	1. राजकीय प्रतिनिधि– 6 2. अन्य प्रतिनिधि – 14
5प	राजस्थान न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल	श्रम सचिव/ सं.श्र.आ. (आईआर)	1. राजकीय प्रतिनिधि– 12 2. श्रमिक प्रतिनधि – 8 3. नियोजक प्रतिनिधि – 4
6प	राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना मानिटरिंग कमेटी	श्रम सचिव/ श्रम आयुक्त	राजकीय प्रतिनिधि – 7
7प	राज्य स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति	मुख्य सचिव	राजकीय प्रतिनिधि – 9
8प	मणिसाना वेज बोर्ड–के संबंध में राज्य स्तरीय समिति	श्रम मंत्री/ श्रम राज्य मंत्री/ सं.श्र.आ. (विधि)	राजकीय प्रतिनिधि – 5 नियोजक प्रतिनिधि – 17 कर्मचारी प्रतिनिधि – 4
9प	विभिन्न श्रम विधियों में आवश्यक संशोधन करने	श्रम आयुक्त/ उप श्रम आयुक्त (विधि)	राजकीय प्रतिनिधि – 4 नियोजक प्रतिनधि – 4

	हेतु समिति		श्रमिक प्रतिनिधि – 5

मैन्युअल—ग

विभागीय अधिकारियो/कर्मचारियों के वेतनमान

क्रसं.	पद	वेतनमान
1.	श्रम आयुक्त	37400—67000
2.	अतिरिक्त श्रम आयुक्त	15600—39100 (34810)
3.	संयुक्त श्रम आयुक्त	15600—39100 (34110)
4.	उप श्रम आयुक्त	15600—39100 (32710)
5.	सहायक श्रम आयुक्त	15600—39100 (22840)
6.	निजी सचिव	9000—300—14400
7.	श्रम कल्याण अधिकारी	9300—3488 (20760)
8.	सहायक लेखाधिकारी	9300—3488 (20760)
9.	जन सम्पर्क अधिकारी	9300—3488 (20760)
10.	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	9300—3488 (20760)
11.	लेखाकार	9300—34800
12.	कनिष्ठ लेखाकार	9300—34800
13.	श्रम निरीक्षक	9300—34800
14.	निजी सहायक	9300—34800
15.	शीघ्रलिपिक	9300—34800
16.	विधि सहायक	9300—34800
17.	सांख्यिकी सहायक	9300—34800
18.	सांख्यिकी निरीक्षक	9300—34800
19.	संगणक	9300—34800
20.	कार्यालय अधीक्षक	9300—34800
21.	कार्यालय सहायक	9300—34800
22.	वरिष्ठ लिपिक	9300—34800
23.	कनिष्ठ लिपिक	5200—20200
24.	वाहन चालक	5200—20200
25.	टेलिफोन ऑपरेटर	5200—20200
26.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	4750—7440

मैन्युअल–ग

विभाग को आवंटित बजट

श्रम विभाग को आवंटित बजट का विस्तृत योजनावार विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	योजना / मद	बजट प्रावधान (लाखो में)		
		आयो. भिन्न	आयोजना	2008–09
1	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 001 निदेशन तथा प्रशासन (01) प्रधान कार्यालय	164.57	–	–
2	101 औद्योगिक संबंध (01) डिविजनल और जिला कर्यालय	554.75	0.01	–
3	101 औद्योगिक संबंध (02) चलिष्णु औद्योगिक न्यायालय	264.98	9.98	–
4	103 सामान्य श्रम कल्याण (01) श्रमिक कल्याण केन्द्र (04) बाल श्रमिकों का कल्याण (05) जनश्री बीमा योजना	93.78 0.02 –	– – 0.01	– – –
5	112 बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास (02) बंधक मजदूरों को राहत	–	1.00	0.01
6	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (01) श्रमिक कल्याण केन्द्र (05) जनश्री बीमा योजना	43.57 –	– 0.01	– –
7	4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय 02 शहरी आवास 800 अन्य व्यय (01) औद्योगिक गृहनिर्माण योजना (01) बीड़ी श्रमिकों के लिए आवासीय योजना	–	0.01	0.01
8	4250 अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 201 श्रम (01) प्रधान कार्यालय (02) डिविजनल और जिला कार्यालय	– –	0.01 0.01	– –
9.	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 789– अनुसूचित जातियों हेतु विशिष्ट संगठक योजना (01) श्रम विभाग के माध्यम से (01) जनश्री बीमा योजना	–	0.01	–
	योग घृमत प्रभृत	1121.65 0.02	11.5 –	0.02 –

मैन्युअल– ग्प्प

अनुदानित (सब्सीडी) योजनाएं

विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं की जाती है जिनमें सब्सीड़ी दिये जाने का प्रावधान रखा गया हो।

मैन्युअल– ग्प्प्प

कन्सेशन, परमिट या ऑथोराईजेशन

विभाग द्वारा निम्नलिखित अधिनियमों के तहत परमिट/ लाईसेंस जारी किये जाने का कार्य किया जाता है :–

1. राज0 दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान, अधिनियम
2. बीड़ी एवं सिंगार अधिनियम
3. ठेका श्रम अधिनियम
4. मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स अधिनियम

मैन्युअल– ग्प्ट

इलैक्ट्रोनिक फार्म में सूचना

विभाग द्वारा वर्तमान में इलैक्ट्रोनिक फार्म में कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है। विभाग की वेबसाईट तैयार की जा रही है। वेबसाईट तैयार होने के पश्चात् इलैक्ट्रोनिक फार्म में सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव होगा।

मैन्युअल– ग्ट

लाईब्रेरी, रीडिंग रूम संबंधी सूचना

विभाग द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु मुख्यालय या अधीनस्थ कार्यालयों में लाईब्रेरी/रीडिंग रूम की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

श्रम विभाग
अधिसूचनाऐं
जयपुर, सितम्बर 30, 2005

एस.ओ. 233 :–सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–22) की धारा–5 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, श्रम आयुक्त, राजस्थान, जयपुर को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में, इसके द्वारा पदाभिहित करती है।

ख्संख्या प.3(25)गृह–6/06,दिनांक 3.5.2007,

जयपुर, सितम्बर 30, 2005

एस.ओ. 234 :– सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–22) की धारा–19 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, प्रमुख शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इसके द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

ख्संख्या प.3(25)गृह–6/06,दिनांक 3.5.2007,

जयपुर, सितम्बर 30, 2005

एस.ओ. 235 :– सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–22) की धारा–5 की उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, उपखण्ड अधिकारियों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उनकी अपनी–अपनी अधिकारिता के भीतर राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारियों के रूप में इसके द्वारा पदाभिहित करती है।

ख्संख्या एफ.1(   )स्था./2001/श्रम/सू.अ./01,

आदेश से,
ह0 अपाठ्य,
उप शासन सचिव।

Please see telephone list on department’s website i.e. http://rajlabour.nic.in